

खास-खाबरें

कलेक्टर ने सुनी 145 आवेदकों की समस्यायें



सतना ː मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने सतना जिले के विभिन्न अंचलों से पहुंचे 145 आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए आवेदकों ने भूमि विवाद, राजस्व रिकॉर्ड सुधार, सिंचाई, बिजली, पानी, सड़क निर्माण, पेंशन, छात्रवृत्ति, आवास योजना तथा अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें प्रस्तुत की। कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर विकास सिंह, डिप्टी कलेक्टर जीतेन्द्र वर्मा, सदीप परस्ते द्वारा भी आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं।

विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षकों के पदों के लिए काउंसिलिंग 29 को

सीधी: राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के 24 जून 2026 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक (विषयवार) एवं जनशिक्षकों के पदों की पूर्ति के लिए काउंसिलिंग 29 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), सीधी में होगी। जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र सीधी ने बताया कि काउंसलिंग में ऐसे माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक भाग ले सकेंगे, जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 की स्थिति में 52 वर्ष से अधिक न हो। संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच या आपराधिक प्रकरण लंबित न हो, लंबे समय से अनुपस्थिति का प्रकरण न हो तथा पूर्व में दंडित न किए गए हों।

खंडहरनुमा मकानों से बरामद 3000 किलोग्राम महुआ लाहन जव्व

अनुपपुर :आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दो स्थानों से करीब 3000 किलोग्राम महुआ लाहन जव्व किया। जिला आबकारी अधिकारी श्री खेमराज श्याम के मार्गदर्शन एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री सम्रतिया मरावी के नेतृत्व में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा झीमर के वार्ड क्रमांक 13 में स्थित दो खंडहरनुमा मकानों की जांच की गई। जांच के दौरान एक स्थान से 90 प्लास्टिक डिब्बों तथा दूसरे स्थान से 110 प्लास्टिक डिब्बों में तैयार महुआ लाहन बरामद किया गए। दोनों स्थानों से जव्व महुआ लाहन की कुल मात्रा लगभग 3000 किलोग्राम तथा अनुमानित कीमत करीब 2 लाख 10 हजार रुपये है।

युवा संगम कार्यक्रम में 103 युवाओं का प्रारंभिक चयन

नरसिंहपुर ː रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंगलवार को शासकीय महाराणा प्रताप महाविद्यालय, गाढ़वारा में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की मौजूदगी में युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान निजी क्षेत्र की विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए। साक्षात्कार के उपरांत जिले के 103 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया। वहीं 11 आवेदकों को अप्रेंटिसशिप के लिए ऑफर लेटर प्रदान किए गए। इसी प्रकार स्वरोजगार की दिशा में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के माध्यम से लगभग 12 हितग्राहियों को 48 लाख 90 हजार रुपये के ऋण वितरित किए गए।

स्वामित्व योजना के भू अधिकार पत्रों का होना निःशुल्क पंजीयन ː डॉ. यादव नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा ː

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सेवा संकल्प अभियान के तहत कृषि उपज मण्डी करहिया में आयोजित बलराम महोत्सव का वचुंअल माध्यम से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने रीवा के प्रगतिशील किसानों से संवाद करके उन्नत खेती की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेती को उन्नत बनाने और किसानों की समृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है। महोत्सव में किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों की जानकारी और खेती को उन्नत बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन मिला है। रीवा तेजी से विकास कर रहा है। रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिलने से इसकी दुनिया भर में मांग बढ़ी है। रीवा में धान और गेहू का विपुल उत्पादन होने के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों और प्राकृतिक खेती में भी किसानों ने अच्छी सफलता प्राप्त की है।

कलेक्टर ने बैठक में बैंकवार प्रकरणों, ऋण वितरण एवं लक्ष्यों की समीक्षा कर दिए निर्देश

पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना विभाग और बैंकर्स सुनिश्चित करें : कलेक्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनुपपुर ː कलेक्टर श्री रत्नाकर झा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति (डीएलसीसी) की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न बैंकों में विभागीय योजनाओं के प्रेषित प्रकरणों की स्वीकृति एवं लंबित प्रकरणों, ऋण वितरण तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की बैंकवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जिले में सीडी रेशियो को बेहतर करने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री रत्नाकर झा ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी एवं स्वरोजगारमूलक योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाना प्रशासन एवं बैंकर्स की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य तभी सार्थक होगा, जब पात्र व्यक्ति को समय पर ऋण एवं आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध हो। उन्होंने सभी विभागों एवं बैंकर्स को आपसी समन्वय के साथ कार्य कर प्रकरणों के निराकरण करने



के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने पात्र पथ विक्रेताओं के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर ऋण वितरण सुनिश्चित करने की निर्देश दिए। उन्होंने स्वरोजगार योजनाओं में विभागवार निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। विभागीय अधिकारियों को बैंकों को भेजे गए प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा बैंकर्स के साथ समन्वय कर

लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि पात्र हितग्राही का प्रकरण केवल दस्तावेजों की कमी के कारण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए।

प्रकरण में कोई कमी पाए जाने पर संबंधित हितग्राही को आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हुए कमियों का निराकरण कराया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। बैठक में पशुपालन विभाग अंतर्गत डॉ. भीमराव अंबेडकर

छह फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 11 हजार रुपये का इनाम घोषित

सीधी: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बिशन कोल, पिता शिवनाथ कोल, निवासी ममदर, थाना रामपुर नैकिन की गिरफ्तारी पर 3 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसी प्रकार हनुमान साकेत, पिता महेश साकेत, निवासी भितरी डाडी टोला तथा सुरेन्द्र द्विवेदी, पिता हीरालाल द्विवेदी, निवासी चौराड़ी, थाना रामपुर नैकिन की गिरफ्तारी पर 2-2 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

शेखर उर्फ अभिषेक, पिता जगदीश पटेल, निवासी दुआरी, थाना गुढ़, जिला रीवा की गिरफ्तारी पर भी 2 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। वहीं शिवमूरत उपाध्याय उर्फ सुदामा, पिता रोहिणी प्रसाद उपाध्याय, निवासी नरगी, थाना महुवास तथा अनिकेत पाण्डेय, पिता आशुतोष पाण्डेय, निवासी शंकरपुर/रघुनाथपुर, थाना रामपुर नैकिन की गिरफ्तारी पर 1-1 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

विद्यालयीन वाहनों की सघन जांच, 18,500 शुल्क वसूला



नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी ː कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में विद्यालयीन वाहनों की सुरक्षा एवं निर्धारित नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 22 सितम्बर को जिला परिवहन अधिकारी आशुतोष भदौरिया के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने सीधी नगरीय क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों के वाहनों की जांच की। जांच के दौरान वाहनों के रस्तावेज, परमिट सहित सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 12 विद्यालयीन वाहनों से कुल 18,500 रुपये का शानम शुल्क वसूल किया गया।

सीनियर आदिवासी छात्रावास में छात्राओं के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित

नईदुनिया प्रतिनिधि, गाडरवाड़ा ː प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा, सुशासन एवं ग्रामी कल्याण अभियान के अंतर्गत सीनियर आदिवासी छात्रावास में छात्राओं के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। यह आयोजन प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह एवं भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अश्विनी पारंगजे के आह्वान पर स्मृति देवेश के सौजन्य से किया गया।

शिविर में प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉ. स्वाति कुर्चीनिया द्वारा छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही छात्राओं के आवश्यक रक्त परीक्षण भी कराए गए।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना से मिली नई राह चना बना कारोबार की ताकत, रोहित ने खेती से खड़ा किया अपना उद्यम

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी ː जिस चने को कलेक्टर ने देखा था, उसी चने को रोहित कुमार मिश्रा ने अपनी उद्यमशीलता से बेसन में बदलकर आय का नया स्रोत बना लिया। सीधी जिले के मड़वास के रोहित ने कृषि उपज में छिपी संभावनाओं को पहचाना और खेती को केवल उत्पादन तक सीमित न रखते हुए उसे खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ा। मई 2025 में शुरू हुई उनकी यह छोटी-सी पहल आज एक ऐसे उद्यम का रूप ले चुकी है, जिससे उन्हें स्वयं आय मिल रही है और दूसरे लोगों को भी रोजगार का अवसर मिला है। रोहित ने शुरूआत करीब 3 लाख रुपये की लागत से 45 क्विंटल चना खरीदकर की। चने के प्रसंस्करण से तैयार बेसन को सीधी और सिंगरौली के बाजारों में 100 से 170 रुपये प्रति किलोग्राम

की दर से बेचा जाने लगा। प्रसंस्करण के दौरान निकलने वाले करीब 25 प्रतिशत चने के छिलके का भी उपयोग किया गया, जिसे 3 से 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा रही है। इस उद्यम को पालन को सुनिश्चित करने में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का सहयोग

महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत रोहित को 3.50 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। इस सहायता ने उन्हें बेसन प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने और उसे बाजार से जोड़ने में मदद की।आज रोहित को बेसन प्रसंस्करण से लगभग 1 लाख से 1.50 लाख रुपये तक का शुद्ध लाभ प्राप्त होने लगा है। उनकी इकाई अब उनकी अपनी आय बढ़ाने के साथ बेसन लोगों के लिए भी रोजगार के माध्यम बन रही है।



पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank	सीओ एसएएम, कटनी ː प्रथम मंजिल, आस्था प्लाजा, झर्रा चिकुरिया, कटनी – 483501 (म.प्र.) ईमेल – coktns@pnbn.bank.in	अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्वित्त तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस		
आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और जमानतदारों/बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रमांरित है, का प्रलक्षित/वास्तविक आधिपत्य/सांकेतिक आधिपत्य (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ‘‘जो है’’, ‘‘जहाँ है’’, ‘‘जो कुछ भी है’’ के आधार पर निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों/बंधककर्ताओं से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपये की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अंतिम धनराशी निम्नलिखित है:		
ई-नीलामी दिनांक एवं समय –27.10.2026 सुबह 11:00 बजे से 05:00 बजे तक (आवश्यक होने पर सायंकल 05:00 बजे के बाद 10 मिनट के अंतराल का विस्तार किया जाएगा) ˆ ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक 26.10.2026		
उधारकर्ता/जमानतदार/बंधककर्ता के नाम	अचल संपत्ति/प्रत्याभूत आस्ति का विवरण	अ) मांग सूचना दिनांक व) आधिपत्य दिनांक स) आधिपत्य प्रकार द) बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)
1. शाखा: बेदन जिला सिंगरौली (म.प्र.) 1. मेसरॉ अजय एसोसिएट्स (उधारकर्ता), पता- बी- 151, सी.डब्ल्यू.एस. कॉलोनी, जयंत, गोपदबनास, सीधी (म.प्र.) पिन- 486890, 2. श्री अजय सिंह सेंगर पिता श्री राज करण सिंह (प्रोप. और बंधककर्ता), पता- बी- 151, सी.डब्ल्यू.एस. कॉलोनी, जयंत, गोपदबनास, सीधी (म.प्र.) पिन- 486890	अचल संपत्ति का समस्त भू भाग व अंश मौजा मजनकूढ़, वार्ड नंबर 30, आराजी खसरा नंबर 513/2, रकबा 0.020 हेक्टेयर यानी 200 वर्ग मीटर, तहसील और जिला सिंगरौली (म.प्र.) में स्थित, और 17.02.2014 को रजिस्टर्ड सैल डीड के अनुसार व़त्तूसीमा: पूर्व – विकेटा/कंटालिया और अन्य लोगों की बची हुई भूमि, पश्चिम – ग्रामीण रोड, उत्तर – कुबेर का मकान, दक्षिण – देवरूप का मकान, मालिक और बंधककर्ता: श्री अजय सिंह सेंगर पिता श्री राज करण सिंह	अ) 07.07.2023 व) 04.03.2024 म) सांकेतिक आधिपत्य र) रु. 19,31,408.00 - व्याज एवं अन्य व्यय
संपत्तियों पर भार जिनकी जानकारी प्रतिभूत लेनदार नहीं है: जानकारी उपलब्ध नहीं है		अ) 10,80,000.00 व) 1,08,000.00 र) 25,000.00 द) 27.10.2026
सरफेसी अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत वैधानिक विक्रय सूचना		
नियम एवं शर्तें ː (1) विक्रय प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002के नियम व शर्तों के अधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। (2) संपत्तियों की विक्री ‘‘जो है’’, ‘‘जहाँ है’’, ‘‘जो कुछ भी है’’ के आधार पर होगी। (3) ऊपर वर्णित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त जानकारी के आधार पर है।क़ानूनि प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (4) विक्रय अधिकृत ऑन लाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा वेबसाइट https://baanekn.com पर दिखे गये दिनांक व समय पर किया जाएगा। (5) संपत्ति विक्रय से संबंधित नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट www.pnbindia.in , https://baanekn.com पर विजिट करें ।		
स्थान: कटनी, दिनांक 23.09.2026		पंजाब नेशनल बैंक प्राधिकृत अधिकारी

गऊ घाट का कलेक्टर एवं एसपी ने किया निरीक्षण



गऊ घाट का कलेक्टर एवं एसपी ने किया निरीक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी ː गणेश प्रतिमा विसर्जन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर विकास मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने गऊ घाट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, विसर्जन व्यवस्था, यातायात एवं भीड़ नियंत्रण की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टर ने नदी के किनारे अस्थायी विसर्जन कुंड तैयार कर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन उसी में कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को नदी के गहरे पानी में जाने से रोका जाए। घाट पर बैरिकेडिंग, पर्याप्त प्रकाश

व्यवस्था, चेतावनी बोर्ड, लाउडस्पीकर, टेंट सहित आवश्यक सुरक्षा एवं बचाव संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। होमगार्ड के प्रशिक्षित तैराक, लाइफ जैकेट, रस्से एवं अन्य बचाव उपकरण भी उपलब्ध रहें। नदियों में जलस्तर अधिक होने के कारण नाव से प्रतिमा विसर्जन की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर ने श्रद्धालुओं से निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही विसर्जन करने तथा सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की। निरीक्षण के दौरान विसर्जन के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया।

अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा संस्कार होना आवश्यक

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा ː उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताओं के विजेताओं को शासकीय मार्तंड स्कूल परिसर में पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित और विश्वगुरु बनाने का संकल्प लिया है। इसका पूरा लाभ आज के युवाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के अनवरत जन सेवा के 25 वर्ष

पूरे होने पर सेवा संकल्प अभियान मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रीवा में भी पिछले 20 वर्षों में हाइवे, रेलवे, एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं का विकास हुआ है। जेन-जी पीढ़ी शिक्षित होने के साथ संस्कारवान बने मेरे सपनों का भारत विषय पर आयोजित प्रतियोगिताएं युवाओं को जगाने के लिए ही है। उप मुख्यमंत्री ने विजेताओं को प्रशस्ति प्रदान करते

हुए कहा कि प्रतियोगिता का विजेता बनने के साथ-साथ उसमें भाग लेना भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने अच्छे कार्यों से करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास, आतंकवाद और नक्सलवाद के दसन, धारा 370 हटाने के साहसिक फैसले और हर घर में नल से साफ पानी पहुंचाने के लिए हजारों करोड़ की जल जीवन मिशन योजना जैसे कार्य देश के विकास को गति दे रहे हैं। विश्व में शांति तभी होगी।

ई नीलामी सूचना

ऋण वसूली अधिकरण

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवायें विभाग (बैंकिंग प्रमाण)

द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल बिल्डिंग), रेजीडेंसी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस के पास, साउथ सिविल लाइन, जबलपुर - (मप्र) 482001

प्रकरण संख्या : RC 3/2019 ओ.ए. नं. 218/2018

ई-नीलामी संख्या 190 / 2026

PUNJAB NATIONAL BANK fo- BABADEEN PRAJAPATI एवं अन्य में पारित वसूली प्रमाणपत्र क्रमांक RC No. RC 3/2019/ O.A. No. 218/2018 में जारी राशि की वसूली हेतु प्रमाण पर Rs. 12,27,134.00 (Rupees Twelve Lakh Twenty Seven Thousand One Hundred Thirty Four) तथा उस पर 12.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिनांक 21.02.2018 से व्याज एवं वसूली हेतु निम्नलिखित संपत्ति ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत वेबसाइटhttps://baanekn.com के माध्यम से की जायेगी।

ई – नीलामी की तिथि एवं समय : 05-11-2026 दोपहर 12:00 से 01:00

संपत्ति की अनुसूची

क्र.सं.	विक्रय हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण	आरक्षित / न्यूनतम मूल्य	ई.एम.डी. राशि
1.	Land and Unfinished House at Khasra No.-531/4(N (as per valuation report 531/4/15), 532 and 534/2, R.I.C. Rewa, Patwari Halka Itaura No.-21 (Old 17), situated at Village-Itaura, Tehsil-Huzur, District-Rewa (M.P.); Area measuring 750 sq.ft., Property in the name of Shri Babadeen Prajapati S/o Shri Mukesh Prajapati.	Rs. 10,40,000.00 (Rupees Ten Lakh Forty Thousand Only)	Rs. 1,04,000.00 (Rupees One Lakh Four Thousand only)

विक्रय की शर्तें एवं नियम

1. विक्रय की सभी शर्तें ऋणों की वसूली एवं विवालिपान अधिनियम, 1993 के प्रावधानों तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूचियों, आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के साथ पठित प्रावधानों द्वारा शासित होंगी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों से भी निर्देशित होंगी।

2. इच्छुक बोलीदाता निम्न सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे हैं।

नीलामी एजेंसी

बेहोपलाइन नं.

हेल्पलाइन ईमेल

बैंक अधिकारी

संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय

3.इच्छुकबोलीदाताबोलीप्रच, विस्तृतविवरण एवंविक्रय की शर्तोंहेतुवेबसाइटhttps://baanekn.com का अवलोकन करें।

4. बोलियों (bids) केवल ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित प्रच में प्रस्तुत की जाएंगी। प्रत्येक बोली के साथ पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण, पडवाना-पत्र, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। कंपनी के मामले में, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित बोर्ड प्रस्ताव (Board Resolution) की प्रमाणित प्रति अथवा कंपनी की ओर से प्रतिनिधित्व / अधिकार-पत्र (Power of Attorney/Authorization) को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य वैध दस्तावेज बोली प्रच के साथ संलग्न किया जाएगा। बोलीदाता संपत्ति के विवरण, क्षेत्रफल/माप, प्रमाा (Encumbrances), वास्तुीय तथा अन्य संबंधित तथ्यों की शुद्धता एवं सत्यता के संबंध में स्वयं अपने स्तर पर संबंधित सरकारी कार्यालयों (अथवा अन्य सक्षम स्रोतों से जांच-पड़ताल कर पूर्णतः संतुष्ट होंगे। इस संबंध में मविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी त्रुटि, विसंगति, कमी अथवा विवाद के लिए ऋण वसूली अधिकरण (DRT) उत्तरदायी नहीं होगा।

5. आरक्षित मूल्य का 10% अर्थात् रु. Rs. 1,04,000.00 (Rupees One Lakh Four Thousand only) ईएमडी के रूप में BAANKNET वॉलेट में जमा करना होगा तथा उसका विवरण बोली प्रच में अंकित करना होगा।

6. ऑनलाइन बोली दिनांक03-11-2026 को सायं 5:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी।

7. ऑनलाइन प्रस्तुत बोली प्रच एवं संलग्नकों की प्रति वसूली अधिकारी, जी.आरटी, जबलपुर, द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल भवन), रेजीडेंसी रोड, मुख्य डाकघर के निकट, दक्षिण सिविल लाइन-स, जबलपुर को यथाशीघ्र प्रेषित की जाएगी।

8. ऑनलाइन बोली प्रक्रिया प्राप्त उच्चतम बोली से प्राप्त होगी तथा प्रत्येक अंली बोली में न्यूनतम वृद्धि रु. Rs. 11,000.00 (Rupees Eleven Thousand only) होगी। नीलामी समाप्ति से पूर्व कोई बोली प्राप्त होने पर प्रणाली द्वारा नीलामी समय स्वतः 5 मिनट के लिए बद्ध दिया जाएगा।

9. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी उसी खाते में वापस की जाएगी जिससे भुगतान किया गया था। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईएमडी जमा करने के पश्चात बोलीदाता उसे वापस नहीं ले सकेगा अन्यथा राशि जव्त कर ली जाएगी।

10. रीवा तेजी से विकास कर रहा है। रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिलने से इसकी दुनिया भर में मांग बढ़ी है। रीवा में धान और गेहू का विपुल उत्पादन होने के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों और प्राकृतिक खेती में भी किसानों ने अच्छी सफलता प्राप्त की है।

11. सफल बोलीदाता को शेष 75% राशि तथा विक्रय राशि का 1% पाउंडेज शुल्क एवं प्रत्येक संपत्ति पर अतिरिक्त रु.10/- नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर, कम संख्या 10 में उल्लिखित खाता चालू संख्या5692799461 में आरटीजीएस (RTGS) / एनईफटी (NEFT) / मनी ट्रांसफर के माध्यम से जमा करना होगा। यदि पंद्रहवां दिन रविवार अथवा अन्य अवकाश का दिन हो, तो भुगतान उसके पश्चात आने वाले प्रथम कार्य दिवस पर किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान न किए जाने की स्थिति में, संपत्ति के विक्रय हेतु नवीन विक्रय उद्घोषणा (Fresh Proclamation of Sale) जारी कर पुनः नीलामी की जाएगी। ऐसी स्थिति में जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जव्त (Forfeited) कर ली जाएगी तथा चूक करने वाला क्रेता (Defaulting Purchaser) उक्त संपत्ति अथवा उसके पुनर्विक्रय से प्राप्त किसी भी राशि पर अपना समस्त दावा एवं अधिकार खो देगा।

12. संपत्ति का विक्रय ‘जैसी है जहाँ है तथा बिना किसी शिकायत के आधार पर’ (As is Where is and No Complaint Basis) किया जाएगा।

13. संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा।

14. वसूली अधिकारी को बिना कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा विक्रय स्थगित / निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. इच्छुक बोलीदाता बैंक के पास उपलब्ध स्वामित्व अभिलेखों का अवलोकन करें तथा संपत्ति की पहचान, विवरण एवं भार आदि की स्वयं जांच करें। इसकी शुद्धता को सत्य विवेच, अधिक ट्रैफिक, सिरस्टम / विद्युत विफलता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करने की सलाह दी जाती है।

16. बोलीदाता अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इंटरनेट, नेटवर्क, सिरस्टम क्रेश या विद्युत व्यवधान के लिए जी.आरटी/बैंक / सेवा प्रदाता उत्तरदायी नहीं होंगे।

17. उच्चतम बोली ‘अनुमोदन के अधीन’ अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। विक्रय की पुष्टि होने तक बोलीदाता को संपत्ति पर कोई अधिकार या स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा।

18. विक्रय पर लागू स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क एवं अन्य वैधानिक शुल्क सफल क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।

19. विक्रय प्रमाणपत्र केवल उन्हीं व्यक्ति/यक्तियों के नाम जारी किया जाएगा जिनके नाम बोली प्रच में उल्लिखित हैं।

20. विक्रय प्रमाणपत्र में बोली प्रच में उल्लिखित नामों के अतिरिक्त किसी अन्य नाम को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

21. बोलीदाता अपने यूज़ने आईडी, पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय जानकारी किसी को भी प्रकट न करें।

22. बोलीदाताओं को समय विवेच, अधिक ट्रैफिक, सिरस्टम / विद्युत विफलता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करने की सलाह दी जाती है।

23. ई-नीलामी सेवा प्रदाता, बैंक के अधिकारी, उनके प्रतिनिधि, कर्मचारी एवं एजेंट ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के विवरणों की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे।

स्थान : जबलपुर

दिनांक : 10.09.2026

(PRITI DESAI)

RECOVERY OFFICER I